न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 04/2018(रसद)
पंजीयन दिनांक 16.07.2018

राज्य सरकार जरिए हितेश जोशी प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़

.....प्रार्थी

बनाम

श्री उदयराम प्रजापत पिता डालू प्रजापत निवासी सेमलपुरा, तहसील चित्तौड़गढ़ प्रतिष्ठान मैसर्स मेवाड़ होटल ओछड़ी

.....विपक्षी

आवेदन अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत 6ए में जब्तशुदा सामग्री का निस्तारण कराने बाबत।

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपस्थितिः- 1-श्री हितेश जोशी, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 09.07.2019

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01.05.2017 को पुलिस उप अधीक्षक, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर वन्दना खोरवाल जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़, श्री सुरेश कुमार खटीक उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ एवं प्रवर्तन अधिकारी व प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा ओछडी टोल के पास स्थित मेवाड होटल पर पहुंच मौके पर जांच की गई जहां मौके पर उदयराम प्रजापत पिता डालू प्रजापत मिला जिसने स्वयं को कारोबार करने का अधिकृत व्यक्ति माना। वक्त निरीक्षण परिसर में तीन ड्रम मिले जिसमें एक प्लास्टिक एवं लोहे का पाया गया उक्त ड्रमों में पेट्रोलियम पदार्थ पाया गया जिसे डीप से नापने पर उक्त ड्रमों में क्रमशः 15 लीटर, 200 लीटर व 20 लीटर कुल 235 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ होना पाया गया है। मौके पर भरे हुए ड्रमों मे से नमूना लिया गया तथा मौके पर उपस्थित उदयराम पिता डालू प्रजापत से पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने हेतु आवश्यक दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज नहीं होना स्वीकार किया गया। इस प्रकार श्री उदयराम पिता डालू प्रजापत निवासी सेमलपुरा द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित राजस्थान पेट्रोलियम पदार्थ आदेश 1990 व आई. पी. सी. की

जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

धारा 379 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा 235 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया गया। विपक्षी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अतः बहस प्रकरण सुनी गई।

प्रवर्तन अधिकारी चित्तौड़गढ़, पैरोकार सरकार ने आवेदन मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से रखने का किया गया कृत्य पेट्रोल-डीजल की अवैध रूप से कालाबाजारी करने से संबंधित होने एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से जब्तशुदा पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रवर्तन अधिकारी, चित्तौड़गढ़ पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। विपक्षी उदयराम प्रजापत पिता डालू प्रजापत निवासी सेमलपुरा द्वारा अपने प्रतिष्ठान मेवाड़ होटल ओछडी पर अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ की खरीद फरोक्त करते पाया तथा उसके प्रतिष्ठान पर तीन ड्रमों में कुल 235 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मौके पर पाया गया तथा उक्त स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ रखने, व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज, अनुज्ञापत्र व लाईसेन्स नहीं होना पाया गया।

इस प्रकार विपक्षी द्वारा इण्डियन ऑयल डीपो से डीजल, पेट्रोल भरकर ले जाने वाले टेंकरों व ट्रकों से अवैध रूप से डीजल-पेट्रोल चोरी से निकाल कर खरीद फरोक्त का धन्धा करना तथा पेट्रोल-डीजल भरने तथा खाली करने के उपकरणों को अवैध तरीके से अपने कब्जे में रखना तथा उनकी कालाबाजारी करना सिद्ध पाया जाने से जब्तशुदा 235 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम राजसात किये जाने योग्य है।

अतः दिनांक 01.05.2017 को जब्तशुदा 235 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को राजसात करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ उक्त जब्तशुदा 235 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ मय ड्रम को थानाधिकारी, पुलिस थाना सदर, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त कर, नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
जिला कलेक्टर
चित्तौडगढ

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official